12:1½ hrs.

STATEMENT CLARIFYING REPLY TO DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT FOR THE YEAR 1965-66

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): I rise to make the following statement:

During the course of my reply to the Budget Debate in this House on the Demands for Grants of the Ministry of Labour & Employment on the 14th April, 1965, I referred to a question raised by Shrimati Renuka Barkataki regarding reservation of posts in industries in public sector in that State, for the people in Assam. I had stated in my reply that the Government of India had taken a decision that posts which carried a salary upto Rs. 500 or Rs. 600 would be reserved for the local people.

At the time I made that statement, I had the recommendation made by the Projects Co-ordination Committee at its second meeting held on the 9th December, 1958, in mind. According to that recommendation, recruitment to posts carrying a salary of less than Rs. 500 per month was to be made, as far as possible, locally or regionally.

I now understand that the instructions issued by the Government of India on the subject have been considerably modified, as preferences of the type envisaged by the Projects Co-ordination Committee were deemed to be *ultra vires* of the provisions of the Constitution of India.

I would like to clarify that the instructions on the subject, now in force, do not provide for any such preferences in the matter of employment in public sector undertakings to the residents of the locality or the State where such undertakings may be situated.

12.03 hrs.

COMMITTEE OF PRIVILEGES

SECOND REPORT

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): I beg to move:

"That this House agrees with the Second Report of the Committee of Privileges laid on the Table on the 30th August, 1965."

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Second Report of the Committee of Privileges laid on the Table on the 30th August, 1965."

The motion was adopted.

12:3½ hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICES—(*Query*)

श्री मधु लिमये : (मुंगेर): सदर साहब, आप आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात सुन लें । मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं । आज काश्मीर के मोर्चे पर जो फ़ौजी कार्यवाही हो रही है, उस के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं चाहता हूं, लेकिन काश्मीर के सम्बन्ध में कई नीति की बातें उठी हैं । तो क्या इस सदन का सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, इस पर बहस नहीं होगी और इस बारे में सवाल नहीं पूछे जायेंगे ? हमारे नियमों में यह व्यवस्था है कि नियम 197 के अन्तर्गत हम लोक-महत्व के अविलम्बनीय प्रश्नों पर मंत्रियों से जानकारी हासिल कर सकते हैं । मैं ने इस संबंध में कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं । क्या आप उन को नहीं मान रहे हैं ? काश्मीर के मुख्य मंत्री, श्री सादिक, ने कुछ बयान दिये हैं , सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाने का इरादा ज़ाहिर हो रहा है – ये सारे मामले बहुत महत्वपूर्ण है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सदन को काश्मीर के बारे में नीति पर बहस करने का मौका दीजिए । वहां पर जो फौजी कार्यवाही चल रही है, उस के बारे में मुझे कुछ

[श्री मधु लिमये]

नहीं कहना है । मैं ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं, उन को आप मान लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ये सब मामले नहीं मान लिये जाते हैं। माननीय सदस्य इस बारे में रेज़ोल्यूशन या शार्ट ड्यूरेशन की डिस्कशन का नोटिस दें ।

श्री मधु लिमये : मैंने अल्प-सूचना प्रश्न भी दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब वे आयेंगे, तो उन को देखेंगे ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): We cannot have calling-attention notice?

Mr Speaker: In all these matters, I have said that they could not be combined together in this manner.

श्री मधु लिमये : मैंने अलग अलग दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के नोटिस आये थे । मैंने उन में से कोई ऐसा नहीं समझा, जिस को मन्जूर किया जा सके । अगर माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि उन में से किसी नोटिस को जरूर एडमिट करना चाहिए, तो वह उस का हवाला दे कर एक लाइन मुझे लिख दें । मैं फिर उस को देख लूंगा । अगर वह तकलीफ़ कर सकें, तो वह मेरे पास आ जायें । मैं उन सब नोटिसिज को भी निकलवा कर देखने के लिए तैयार हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि काश्मीर के बारे में यह कहा गया था कि अभी उस के मुताल्लिक कोई सवालात न उठाये जायें । लेकिन ये कालिंग एटेन्शन नोटिसिज इस लिए दिए गए हैं कि अखबारों में समाचार आ जाते हैं और वे हम को मालूम नहीं होते हैं । अगर मंत्री महोदय खुद ही इन बातों के बारे में बयान दे दिया करें —काश्मीर का मामला युनाइटिड नेशन्ज में जाने की बात हो रही है, वेस्टर्न पावर्ज काफ़ी दबाव डाल रही है, कछार के इलाके में पाकिस्तान की फ़ोर्सिज जमा हो रही हैं, वगैरह— तो हमें ये नोटिस देने की जरूरत ही न पड़े, हमें हाउस को परेशान न करना पड़े । आखिर मंत्री महोदय को भगवान ने अक्ल दी है ।

अध्यक्ष महोदय : भगवान ने हर एक को अक्ल दी है ।

श्री मधु लिमये : विदेशिक कार्य मंत्री आए हैं। आप उन से पूछिए कि क्या वह कोई वक्तव्य देना चाहते हैं।

12.05 hrs.

RE: BUSINESS OF THE HOUSE

Shri Frank Anthony (Nominated—Anglo-Indians): Before you proceed further, Mr. Speaker, may I make a request? You will not be in the Chair later on. On this Aligarh University Bill we have already used two out of the four hours; there was the Mover of the Resolution and the Education Minister who spoke. It is a very important matter and many of us feel that we should have at least 2—3 hours extension of time.

Mr. Speaker: I will try; if that is the consensus of the House we will extend it by two hours.

12.06 hrs.

FINANCE (No. 2) BILL, 1965—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up Finance (No. 2) Bill. We were on clause 25. Mr. Bade has to continue his speech. There are about 1½ hours left.